आरएफपी संदर्भ सं.:-
रा.आ.बैंक/एडी/आरएफपी/आउट06637/2021 दिनांक अक्टूबर 22, 2021

प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी)-

समवर्ती लेखा परीक्षकों की नियुक्ति

लेखा परीक्षा विभाग
मुख्यालय, राष्ट्रीय आवास बैंक
कोर 5-ए, चतुर्थ तल, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड
नई दिल्ली –110 003
दूरभाष : 011-3918 7000-35
ईमेल: ashish.jain@nhb.org.in ; rounak.agrawal@nhb.org.in

शब्द संग्रह

संक्षेपाक्षर	**विवरण**
NHB	राष्ट्रीय आवास बैंक
HO	मुख्यालय, दिल्ली
RRO	क्षेत्रीय प्रतिनिधि कार्यालय
PSU	सार्वजनिक क्षेत्र इकाई
PSB	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक
VC	वीडियो सम्मेलन
EMD	बयाना जमा राशि
RFP	प्रस्ताव हेतु अनुरोध
PBG	कार्य निष्पादन बैंक गारंटी
AMC	वार्षिक अनुरक्षण लागत
SLA	सेवा स्तरीय करार
VOF	आगंतुक अधिकारी फ्लैट
IOT	अंतर कार्यालय स्थानांतरण
ACB	बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति

व्याख्या: *शब्द आरएफपी, निविदा, बोली को एक-दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है एवं इसे एक व इस आरएफपी दस्तावेज के प्रयोजनार्थ एक जैसा ही समझा जाय। सभी स्पष्टीकरण, संशोधन, आशोधन, पूरक जो इस आरएफपी के संबंध में जारी किये जा सकते हैं, इस आरएफपी के हिस्से एवं अभिन्न अंग के तौर पर समझा जाएगा एवं आरएफपी दस्तावेज में समाविष्ट होंगे।*

1. <u>महत्वपूर्ण बोली विवरण</u>		
1.	बोली/निविदा/आरएफपी दस्तावेजों की बिक्री प्रारंभ करने की संभावित तिथि	22 अक्टूबर 2021 (शुक्रवार)
2.	बोलीदाताओं के साथ बोली पूर्व बैठक (तिथि एवं समय)	29 अक्टूबर 2021 (शुक्रवार) (11:30 बजे सुबह)
3.	बोली दस्तावेज की बिक्री हेतु अंतिम तिथि एवं समय	12 नवंबर 2021 (शुक्रवार) (05: 00 बजे अपराह्न)
4.	बोली दस्तावेजों की प्राप्ति अंतिम तिथि एवं समय	12 नवंबर 2021 (शुक्रवार) (06: 00 बजे अपराह्न)
5.	तकनीकी बोली खोलने की तिथि एवं समय#	15 नवंबर 2021 (सोमवार) (11:30 बजे सुबह)
6.	बोलीदाताओं द्वारा तकनीकी प्रस्तुति	बाद में सूचित की जाएगी
7.	आरएफपी की लागत (अप्रतिदेय)	आरएफपी की लागत (अप्रतिदेय) - 2,500/- रूपये हालांकि, उन बोलीदाताओं को आरएफपी लागत से छूट दी जाएगी, जिन्होंने "रा.आ.बैंक के समवर्ती लेखा परीक्षकों की नियुक्ति" के लिए 23 जून, 2021 को जारी आरएफपी के जवाब में पहले ही आरएफपी लागत का भुगतान कर दिया है। इसके अतिरिक्त, सूक्ष्म एवं लघु उद्यम श्रेणी के अंतर्गत आने वाले बोलीदाताओं हेतु आरएफपी लागत में छूट, वैध एमएसई पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के अधीन है।
8.	बयाना राशि जमा	बोलीदाता को यह स्वीकार करते हुए अपने अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और मुहर सहित अपने संगठन के लेटर हेड पर "ईएमडी/बोली प्रतिभुति घोषणा" प्रस्तुत करनी होगी कि यदि वे बोली की वैधता की अवधि के दौरान अपनी बोलियों को वापस लेते हैं या संशोधित करते हैं, या यदि उन्हें अनुबंध प्रदान किया जाता है और वे अनुबंध पर हस्ताक्षर करने में विफल रहते हैं, या प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) दस्तावेज़ में परिभाषित समय सीमा से पहले कार्य निष्पादन प्रतिभुति जमा करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें बैंक के विवेकानुसार निलंबित/ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है।

9.	बोलियां खोलने का स्थान (वीसी के माध्यम से संचालन करने पर बोलीदाताओं को ईमेल पर सूचित किया जाएगा)	राष्ट्रीय आवास बैंक, लेखा परीक्षा विभाग, मुख्यालय, कोर5-ए , चतुर्थ तल, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003

नोट: -

- *चल रहे कोविड -19 महामारी के कारण, बैठकें ऑनलाइन आयोजित की जा रही हैं। इच्छुक बोलीदाता आरएफपी के अनुसार ईमेल पर पूर्व-बोली प्रश्न भेज सकते हैं या ऑनलाइन तरीके से आमने-सामने प्रश्नों/स्पष्टीकरणों के लिए रा.आ.बैंक में नामित अधिकारियों को वीसी लिंक भेज सकते हैं।
- #तकनीकी बोलियों को उन बोलीदाताओं की उपस्थिति में खोला जाएगा जो उपरोक्त में भाग लेना चाहेंगे। उपरोक्त अनुसूची परिवर्तन के अधीन है। किसी भी परिवर्तन की सूचना केवल नामित संपर्क कर्मियों से ई-मेल अथवा बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित करने के माध्यम से दी जाएगी। इसके अलावा, कृपया ध्यान दें कि वाणिज्यिक बोली खोलने की तिथि, समय और स्थल की सूचना किसी बाद की तारीख में तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं को दी जाएगी।
- इस आरएफपी के साथ दस्तावेजी साक्ष्य/कंपनी के माध्यम से प्रस्तुत सभी डाटा/सूचना को रिपोर्ट किया जाए एवं इस आरएफपी के प्रकाशन की तारीख को माना जाएगा।

2. **राष्ट्रीय आवास बैंक के बारे में**

राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक), राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 ("अधिनियम") के तहत स्थापित, भारत सरकार के तहत एक सांविधिक निकाय है।

क. राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु किया गया है-

- आबादी के सभी वर्गों की जरूरत को पूरा करने और कुल मिलाकर वित्तीय प्रणाली के साथ आवास वित्त प्रणाली को एकीकृत करने हेतु ठोस, बेहतर, व्यवहार्य और लागत प्रभावी आवास वित्त प्रणाली को बढ़ावा देना।
- विविध क्षेत्र और विभिन्न आय वर्ग को पर्याप्त तौर पर सहायता प्रदान करने हेतु समर्पित आवास वित्त संस्थानों के एक तंत्र को बढ़ावा देना।
- इस क्षेत्र के लिए संसाधनों को बढ़ाना और आवास हेतु इन्हें उपलब्ध कराना।
- आवास ऋण को अधिक किफायती बनाना।
- इस अधिनियम के तहत व्युत्पन्न विनियामक एवं पर्यवेक्षी प्राधिकरण के आधार पर आवास वित्त कंपनियों की गतिविधियों को विनियमित करना।
- आवास हेतु भवन निर्माण योग्य भूमि और निर्माण सामग्रियों की आपूर्ति के विस्तार को प्रोत्साहित करना और देश में आवासीय स्टॉक को अद्यतित करना।
- आवास हेतु सेवित भूमि के सुविधाप्रदाता और आपूर्तिकर्ता के तौर पर उभरने हेतु सार्वजनिक एजेंसियों को प्रात्साहित करना।

ख. रा.आ.बैंक का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है तथा इसका क्षेत्रीय मुंबई, नई दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु एवं कोलकाता में स्थित हैं। इसके प्रतिनिधि कार्यालय चेन्नई, अहमदाबाद, लखनऊ, गुवाहाटी और भोपाल में स्थित हैं।

3. **प्रयोजन:**

- राष्ट्रीय आवास बैंक (राआबैंक) (यहां के बाद इसे बैंक कहा जाएगा) कार्यक्षेत्र के तहत व्याख्यापित अनुसार बैंक की समवर्ती लेखा परीक्षा आयोजित करने हेतु उनकी सेवाएं प्रदान करने के लिए वेंडरों से 'प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) निविदाएं आमंत्रित करता है। अब आरएफपी दस्तावेज के लिए आमंत्रण जारी किया जा रहा है ताकि वेंडर अपनी निविदाएं बैंक को प्रसतुत कर सकें।
- इस आरएफपी का प्रयोजन समवर्ती लेखा परीक्षा आयोजित करने के लिए सेवाएं प्रदान करने हेतु एक वेंडर का चयन करना है।

- प्रस्ताव के लिए अनुरोध दस्तावेज में सूचना से ली गई विवरणियां है जिन्हें आज के दिन संगत समझा गया किंतु इसका प्रयोजना पूरी सूचना देना नहीं है जो किसी भावी संविदा पक्ष को यह निर्धारण करने के लिए आवश्यक या वांछित हो कि राआबैंक के साथ यह संविदा किया जाए या नहीं। ना तो राआबैंक और ना ही इसका कोई कर्मचारी, एजेंट, संविदाकार या परामर्शदाता कोई प्रतिनिधित्व या वारंटी, स्पष्ट या अन्तर निहित, इस दस्तावेज में दी गई किसी सूचना या कथन की शुद्धता या पूर्णता के बारे में नहीं देता है। ना तो राआबैंक और ना ही इसका कोई कर्मचारी, एजेंट, संविदाकार या परामर्शदाता ने इस दस्तावेज के किसी भाग की विषय वस्तु के संबंध में ना तो कोई स्वतंत्र आडिट या सत्यापन किया है या करेगा।

  किसी कानून के विरूद्ध नहीं होने, और कानून द्वारा अधिकतम सीमा तक यथा अनुमत्य, राआबैंक और इसके अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट, संविदाकार और परामर्शदाता किसी व्यक्ति द्वारा कोई काम करते या कार्य नहीं करते समय कोई क्षति या नुकसान (*चाहे पूर्वानुमान हो या नहीं*) के प्रति सभी दायित्वों से इंकार करते हैं, क्योंकि इस आरएफपी दस्तावेज में दी गई कोई सूचना व पूर्वानुमान, कथन, प्राक्कलन या परिकल्पना या उससे संबंध कोई आचरण चाहे नुकसान या क्षति किसी लापरवाही, चूक, गलती, सावधानी की कमी या राआबैंक या उसके किसी अधिकारी, कर्मचारी, संविदाकार, एजेंट या परामर्शदाता के गलत प्रतिनिधित्व के कारण हुआ हो।

4. उद्देश्य:

समवर्ती लेखा परीक्षा एक जांच है जो लेनदेन होने के साथ ही हो जाती है या यथा संभव शीघ्र होती है। इससे लेनदेन और किसी स्वतंत्र व्यक्ति द्वारा उसकी जांच के बीच अंतराल को कम किया जाता है। प्रमुख क्षेत्रों में परीक्षण जांच के बजाय पक्की जांच पर बल दिया जाता है। यह लेखा परीक्षा अनिवार्य रूप से प्रबंधन की प्रक्रिया है जो अच्छे आन्तरिक लेखांकन कार्यों का हिस्सा है तथा एक सतर्क आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रक्रिया को दर्शाती है ताकि गंभीर गलतियां और धोखाधड़ी की घटनाएं न हों। लेखा परीक्षा को अनिवार्य रूप यह ध्यान देना होगा कि क्या लेन-देन या निर्णय प्रधान कार्यालय द्वारा निर्धारित नीति मानकों के अंतर्गत हैं, वे भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों या नीति निर्देशों का उल्लंघन तो नहीं करतें और यह कि वे प्रत्यायोजित प्राधिकरण के अंतर्गत है। लेखा परीक्षा को पूर्व चेतावनी संकेतों की पहचान तथा रिपोर्ट करनी होगी एवं बैंक में देखी गई गंभीर अनियमितताओं/धोखाधड़ी गतिविधियों की रिपोर्ट करनी होगी।

5. कार्य क्षेत्र:

कार्य क्षेत्र हेतु कृपया अंग्रेजी आरएफपी का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें।

6. **प्रदेय**

प्रदेय हेतु कृपया अंग्रेजी आरएफपी का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें।

7. संविदा की अवधि:

यह संविदा परियोजना के कार्यान्वयन की तिथि से तीन वर्षों के लिए वैध होगी। हालांकि, संविदा के तहत कार्य-निष्पादन की वार्षिक समीक्षा बैंक द्वारा संविदा की अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष के अंत में की जाएगी एवं तदनुसार, संतोषजनक प्रदर्शन समीक्षा के अधीन, संविदा का नवीनीकरण आगामी वर्ष हेतु कार्य प्रदान करके/ कार्य आदेश जारी करके किया जाएगा। यदि कार्य-निष्पादन संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो बैंक के पास संविदा को रद्द करने का अधिकार है।

परियोजना के कार्यान्वयन की तिथि कार्य प्रदान करने/कार्य आदेश (आरंभ तिथि) की तिथि या ऐसी अन्य तिथि होगी जो रा.आ.बैंक द्वारा निर्धारित की जा सकती है।

टिप्पणी:
यह आरएफपी ऐसे कार्यों, गतिविधियों, उत्तरदायित्वों और सेवाओं के वर्णन करने में परिपूर्ण नहीं है जिसके लिए सेवा प्रदाता जिम्मेदार होगा। बोलीदाता, इस निविदा की भागीदारी से, अप्रत्यक्ष रूप से इसकी पुष्टि करता है कि यदि कोई भी कार्य, गतिविधियां, उत्तरदायित्व या सेवाएं जो विशेष रूप से इस आरएफपी में वर्णित नहीं है, या विशेष रूप से वर्णित है लेकिन विनियामक/सांविधिक बदलावों के कारण उपयुक्त बदलाव/ संशोधन करने पड़ेंगे तथा संविदा के उचित निष्पादन हेतु रा.आ.बैंक द्वारा आवश्यक या उपयुक्त संदर्भित किए गए हैं, ऐसे कार्य, गतिविधियां, उत्तरदायित्व या सेवाएं (लागू बदलाव के साथ, यदि कोई हो) अंतर्निहित और इस आरएफपी के सेवा क्षेत्र तहत समाविष्ट समझा जाएगा और बोलीदाता का प्रत्युत्तर उस सीमा तक तथा उसी प्रकार का होगा जैसा कि इस आरएफपी और बोलीदाता के प्रत्युत्तर में विशेष रूप से बताया गया है।

8. बोलीदाताओं को अनुदेश

8.1 सामान्य:-

- विकास, तैयारी, और प्रत्युत्तरों के प्रस्तुत करने से किसी भी प्रकार से संबद्ध सहित लेकिन जो बैठकों, चर्चाओं, प्रदर्शन, इत्यादि में उपस्थिति तक सीमित न हो और रा.आ. बैंक द्वारा अपेक्षित कोई अन्य सूचना प्रदान करने में बोलीदाताओं द्वारा वहन की गई समस्त लागत एवं व्यय पूरी तरह एवं केवल बोलीदाता द्वारा वहन की जाएगी।

- बोली के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले संविदा-पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता के अलावा, संविदात्मक करार के निष्पादन तक बोलीदाताओं एवं रा.आ.बैंक में से किसी के भी बीच कोई बाध्यकारी कानूनी संबंध नहीं होंगे। और बोलियों के मूल्यांकन एवं उनको अंतिम रूप देने के एवं सफल बोलीदाता की पहचान के पश्चात सत्यनिष्ठा समझौता सफल बोलीदाता द्वारा निश्चित समझौता के भाग हेतु होगा। अन्य बोलीदाताओं के लिए, संविदा-पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता प्रस्तुत बोली के संबंध में कथोक्त संविदा पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता के उल्लंघन में बोलीदाता द्वारा किए गए किसी कार्य/चूक हेतु उन पर बाध्य होगा।
- प्रत्येक बोलीदाता यह मानेगा एवं स्वीकार करेगा कि राष्ट्रीय आवास बैंक अपने पूर्ण विवेक पर पात्र वेंडर(रों) छांटने/चयन करने में प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के लिए दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट चयन मानदंड अपना सकता है।
- राष्ट्रीय आवास बैंक को आरएफपी का उत्तर देने वाला प्रत्येक प्राप्तकर्ता को यह समझा जाएगा कि उसे इस आरएफपी एवं अस्वीकरण की शर्तें स्वीकार हैं।
- बोलीदाता से अपेक्षित है कि वे इस आरएफपी से संबंधित सभी पत्राचार सीधे निम्नलिखित नामित संपर्क सूत्र को भेजें:

आशीष जैन क्षेत्रीय प्रबंधक, लेखा परीक्षा विभाग राष्ट्रीय आवास बैंक मुख्यालय कोर 5-ए, चतुर्थ तल, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 दूरभाष सं. 011-39187107 ईमेल : ashish.jain@nhb.org.in	रौनक अग्रवाल, सहायक प्रबंधक, लेखा परीक्षा विभाग राष्ट्रीय आवास बैंक, मुख्यालय कोर 5-ए, चतुर्थ तल, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 दूरभाष सं.: 011-39187259 ईमेल: rounak.agrawal@nhb.org.in

- रा.आ. बैंक अपने संपूर्ण विवेक पर आरएफपी के बंद होने के पश्चात किसी भी बोलीदाता से कोई अतिरिक्त सूचना अथवा सामग्री की मांग कर सकता है और दी जाने वाले ऐसी सभी सूचना और सामग्री बोलीदाता के प्रत्युत्तर का भाग होनी चाहिए।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि आरएफपी हेतु प्रत्युत्तर तुरंत सूचित किया जाए, बोलीदाताओं को अपने संपर्क व्यक्ति, टेलीफोन, ई-मेल एवं पूरे पते का विवरण देना चाहिए।

- यदि रा.आ. बैंक अपने संपूर्ण विवेक पर यह पाए कि प्रश्न के प्रत्युत्तर से प्रश्न के प्रणेता को लाभ होगा तो रा.आ. बैंक के पास यह अधिकार सुरक्षित होगा कि वह ऐसे प्रत्युत्तर को सभी बोलीदाताओं को सूचित करें।

- यदि कोई पूछताछ/स्पष्टीकरण हो तो सोमवार से शुक्रवार, सार्वजनिक अवकाशों को छोड़कर प्रात: 10.00 से सायं 06.00 बजे के बीच बोली प्रस्तुत करने की समय-सीमा से पूर्व ऊपर दिये गए संपर्क व्यक्ति से संपर्क कर सकते है।

- बोलीदाता को भारत में किसी सरकारी विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ बैंक/वित्तीय संस्थान के द्वारा बोली प्रक्रिया में भाग लेने से ब्लैकलिस्ट/रोका न गया हो।

- राष्ट्रीय आवास बैंक सभी चयनित बोलीदाताओं को अपने आरएफपी के परिणाम के बारे में लिखित में या मेल द्वारा या अपने वेबसाइट पर प्रकाशित कर सूचित करेगा। राष्ट्रीय आवास बैंक किसी भी स्वीकार या अस्वीकार हेतु कोई कारण प्रदान करने हेतु बाध्य नहीं है।

- रा.आ.बैंक के पास यह अधिकार है कि यदि उचित समझा जाए तो वह संविदा देने से पहले किसी भी समय पूरी निविदा प्रक्रिया को रद्द कर सकता है।

8.2 बोली पूर्व बैठक

इस निविदा/आरएफपी से संबंधित मुद्दों पर बोलीदाताओं के संदेहों के स्पष्टीकरण के प्रयोजनार्थ राष्ट्रीय आवास बैंक आरएफपी में स्पष्ट की गई तिथि व समय पर बोली पूर्व बैठक आयोजित करना चाहता है। सभी बोलीदाताओं के प्रश्न दिनांक 28 अक्टूबर, 2021 को अपराह्न 02:00 बजे या उससे पहले ईमेल द्वारा अथवा डाक उपरोक्त उल्लिखित पते पर पहुंच जाने चाहिए। यह भी ध्यान दें कि किसी भी बोलीदाता के पूर्व बोली बैठक के पश्चात प्राप्त होने वाले प्रश्नों पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रश्नों पर स्पष्टीकरण बोली पूर्व बैठक में दिया जाएगा। बोलीदाताओं के प्राधिकृत प्रतिनिधि को ही बोली पूर्व बैठक में भाग लेने की अनुमति होगी।

8.3 निविदा/आरएफपी दस्तावेज की सॉफ्ट कॉपी

निविदा/आरएफपी दस्तावेज की सॉफ्ट कॉपी रा.आ. बैंक की वेबसाइट http://www.nhb.org.in पर उपलब्ध कराई जाएगी। बोलीदाताओं को खंड 8.39 में यथा उल्लेखित रा.आ.बैंक के खाते में एनईएफटी के माध्यम से 2,500/- रू. (दो हजार पांच सौ रूपये मात्र) की अप्रतिदेय शुल्क का भुगतान करना होगा और उक्त भुगतान के तुरंत बाद रा.आ.बैंक को सूचित करना होगा।

भुगतान का प्रमाण संलग्न हो एवं तकनीकी बोली वाले लिफाफे में रखा जाय ऐसा न करने पर बोली के आगे मूल्चांकन पर विचार नहीं किया जाएगा।

***नोट:** हालांकि, उन बोलीदाताओं को आरएफपी लागत से छूट दी जाएगी, जिन्होंने "रा.आ.बैंक के समवर्ती लेखा परीक्षकों की नियुक्ति" के लिए 23 जून, 2021 को जारी आरएफपी के जवाब में पहले ही आरएफपी लागत का भुगतान कर दिया है। इसके अतिरिक्त, सूक्ष्म एवं लघु उद्यम श्रेणी के अंतर्गत आने वाले बोलीदाताओं हेतु आरएफपी लागत में छूट, वैध एमएसई पंजीकरण प्रमाणपत्र (प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा स्व-सत्यापित) प्रस्तुत करने के अधीन है।

8.4 निविदा/आरएफपी की गैर हस्तांतरणीयता

यह निविदा/आरएफपी दस्तावेज हस्तांतरणीय नहीं है।

8.5 विलोपन या परिवर्तन

विलोपन या परिवर्तन वाले प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जा सकता है। रा.आ. बैंक के विवेकाधिकार पर किसी भी अंतरालेखन, विलोपन या उपरी लेखन पर विचार किया जा सकता है, केवल तभी यदि वह बोलियों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति द्वारा आद्याक्षरित हो। तथापि, वाणिज्यिक बोली में किसी भी फोर्म में कोई भी अंतरालेखन, विलोपन या उपरी लेखन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। प्रस्ताव में हाथ से लिखी हुई सामग्री, सुधार या बदलाव नहीं होना चाहिए। तकनीकी विवरण पूरी तरह से भरा होना चाहिए। प्रस्तावित उत्पाद की सही तकनीकी जानकारी भरी होनी चाहिए। “ठीक”, “स्वीकृत”, “विख्यात”, जैसा कि ब्रोशर/नियमावली में दिया गया है, इन शब्दों का प्रयोग करके जानकारी भरना स्वीकार्य नहीं है। हालांकि, रा.आ. बैंक इन दिशा-निर्देशों का पालन न करने वाले प्रस्तावों को अस्वीकृत करेगा। रा.आ. बैंक अपने विवेकाधिकर पर, प्रस्ताव में कोई भी मामूली गैर-अनुरुपता या किसी भी मामूली अनियमितता में छूट कर सकता है। यह सभी बोलिदाताओं पर बाध्यकारी होगा तथा रा.आ.बैंक इस तरह की छूट के लिए अधिकार सुरक्षित रखता है।

8.6 बोली/निविदा/आरएफपी दस्तावेज में संशोधन

- बोली प्रस्तुत करने की समय सीमा से पूर्व किसी भी समय रा.आ. बैंक, किसी भी कारण, संशोधन द्वारा बोली/निविदा/आरएफपी दस्तावेज में सुधार कर सकता है।
- संशोधन रा.आ. बैंक की वेबसाइट http://www.nhb.org.in पर पोस्ट किया जाएगा।

- सभी बोलीदाताओं को सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके द्वारा बोली प्रस्तुत करने से पहले आरएफपी में संशोधन/वर्धन (यदि कोई है) पर विचार किया गया है। बोलीदाता द्वारा कोई भी चूक किए जाने के मामले में रा.आ. बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- रा.आ. बैंक अपने विवेकानुसार बोली प्रस्तुत करने की समय सीमा को आगे बढ़ा सकता है।
- रा.आ. बैंक किसी भी संवादहीनता के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। इसके अलावा रा.आ. बैंक बिना कोई कारण बताए किसी भी स्थिति में निविदा को स्क्रैप करने या निविदा प्रक्रिया को छोड़ने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

8.7 बोली की भाषा

बोलीदाताओं द्वारा तैयार बोली के अलावा बोलीदाता एवं बैंक के बीच बोली से संबंधित आदान-प्रदान किये जाने वाले सभी पत्राचार एवं दस्तावेज एवं समर्थित दस्तावेज व मुद्रित साहित्य अंग्रेजी में लिखित होंगे।

8.8 प्रच्छादित (मास्कड) वाणिज्यिक बोली

बोलीदाता को वास्तवि+क मूल्य बोली की प्रति प्रस्तुत करना भी आवश्यक है **वास्तविक मूल्यों को प्रच्छादन (मास्किंग** करके रा.आ.बैंक को अलग से प्रस्तुत किये जा रहे *(रा.आ.बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार)* की प्रति होती है । **यह अनिवार्य है।** वह बोली अयोग्य ठहराई जा सकती है यदि इसे यथोचित ढंग से प्रच्छादन करते हुए प्रस्तुत न किया गया हो। **राष्ट्रीय आवास बैंक के पास वाणिज्यिक मूल्यांकन के समय पर बोली अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है यदि 'प्रच्छादित वाणिज्यिक बोली' का प्रारूप/विवरण (मूल्य के सिवा) प्रस्तुत की गई वास्तविक वाणिज्यिक बोली के प्रारूप/विवरण से नहीं मिलती है।**

8.9 स्थान/मात्रा में संशोधन का अधिकार

राष्ट्रीय आवास बैंक के पास निविदा में निर्धारित प्रस्तावित स्थल/स्थलों को संशोधित करने का अधिकार है। राष्ट्रीय आवास बैंक के पास समय-समय पर निविदा में निर्धारित सूची से एक या एक से अधिक स्थल/स्थलों को जोड़ने/हटाने का भी अधिकार सुरक्षित है।

8.10 बोली में शामिल दस्तावेज
(कृपया निर्देशों का पालन करें, यदि कोई है, तो प्रारूप में अलग-अलग निर्धारित किया गया है)

1. **अनुलग्नक I** में निर्धारित प्रारूप में बोलीदाता की जानकारी;

2. **अनुलग्नक II** में निर्धारित प्रारूप में बोलीदाता के अनुभव का ब्यौरा;
3. **अनुलग्नक III** में निर्धारित प्रारूप में अनुपालन विवरण घोषणा;
4. **अनुलग्नक IV** में निर्धारित प्रारूप में विचलनों की सूची, यदि कोई हो;
5. **अनुलग्नक V** में निर्धारित प्रारूप में न्यूनतम पात्रता पर सूचना;
6. **तकनीकी प्रस्ताव:** तकनीकी बोली **अनुलग्नक VI** में निर्धारित प्रारूप में कवरिंग पत्र के साथ **अनुलग्नक VII** में निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तकनीकी प्रस्ताव के साथ शामिल/प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज **अनुलग्नक I, II, III, IV, V, X, XI, XII, XIII, XIV, XVIII, XIX** होने चाहिए।
7. **वाणिज्यिक प्रस्ताव:** वाणिज्यिक बोली **अनुलग्नक VIII** में निर्धारित प्रारूप में आवरण पत्र के साथ **अनुलग्नक IX** में निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करें।
8. **अनुलग्नक X** में निर्धारित प्रारूप में ईसीएस अधिदेश;
9. **अनुलग्नक XI** के अनुसार निर्धारित प्रारूप में योग्यता का पत्र;
10. **अनुलग्नक XII** के अनुसार निर्धारित प्रारूप में प्रमुख कर्मी का बायोडाटा;
11. **अनुलग्नक XIII** में प्रारूप में एस्कलैशन मैट्रिक्स ;
12. **अनुलग्नक XIV** में प्रारूप में संविदा-पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता (जहां भी लागू हो) *(संविदा-पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता प्राधिकृत हसताक्षरी द्वारा विधिवत हसताक्षर किए 100/- रू. के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर सही तरीके से टंकित कर प्रस्तुत करना होगा और तत्पश्चात रा.आ.बैंक की ओर से भी हसताक्षर किया जाएगा। निष्पादन की तारीख बोलीदाता द्वारा तकनीकी बोली में उल्लिखित तारीख होनी चाहिए)*
13. सेवा स्तरीय करार **अनुलग्नक XV** में निर्धारित है;
14. **अनुलग्नक XVI** *में निर्धारित गैर-प्रकटीकरण करार*;
15. बैंक गारंटी का प्रारूप **अनुलग्नक XVII** ;
16. भारत में भूमि सीमा साझा करने वाले देश के बोलीदाता से खरीद पर प्रतिबंध का प्रमाण पत्र **अनुलग्नक XVIII** में निर्धारित है।
17. ईएमडी/बोली प्रतिभूति घोषणा अनुलग्नक **XIX** में निर्धारित है

टिप्पणी: आरएफपी लागत और ईएमडी/ बोली प्रतिभूति घोषणा के बिना बोलीयां अस्वीकार कर दी जाएगी।

8.11 बोली मुद्रा

बोलियां केवल भारतीय रूपए में कोट की जाएगी। भारतीय रूपए के अलावा किसी अन्य मुद्रा में बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

8.12 बयाना जमा-राशि (ईएमडी)/ बोली प्रतिभूति घोषणा

बयाना जमा-राशि (ईएमडी)/ बोली प्रतिभूति घोषणा हेतु कृपया अंग्रेजी आरएफपी का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें।

8.13 कार्यान्वयन अनुसूची

- चयनित वेंडर को कार्य आदेश की स्वीकृति के 10 दिनों के भीतर सेवाएं शुरू करने हेतु रा.आ.बैंक, प्रधान कार्यालय में रिपोर्ट करना अपेक्षित है।
- बोलीदाता सेवाओं के वितरण हेतु जिम्मेदार होगा।

क्र.सं.	**घटना**	**वितरण अनुसूची (कार्य आदेश स्वीकार करने की तारीख से)**
1.	प्रारंभिक बैठक	5 दिन
2.	सेवाएं प्रारंभ करना	6 दिन

आरएफपी के शर्तों के अनुसार एसएलए के निष्पादन के बाद ही बिलिंग चक्र प्रारंभ होगा।

8.14 कार्य निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी)

चयनित/सफल बोलीदाता को अनुलग्नक-XVII में निर्धारित प्रारूप में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से बैंक गारंटी के रूप में कुल वार्षिक लागत के 3% के समान लागत के कार्य निष्पादन बैंक गारंटी/पीबीजी को प्रदान करना होगा। इसके लिए संविदा मूल्य 3*12*X होगी {X समवर्ती लेखा परीक्षा सेवाओं हेतु मासिक प्रभार है (जैसा कि वाणिज्यिक बोली अर्थात अनुलग्नक IX में उद्धृत है)। पीबीजी को कम से कम छ: महीनों या रा.आ.बैंक द्वारा निर्धारित ऐसी अन्य विस्तारित अवधि के लिए वैध होना चाहिए। सफल बोलीदाता द्वारा गैर-निष्पादन या आरएफपी नियम में चूक के जोखिम समेत श्रम कानून या कोई अन्य कानूनों/ नियमों/ विनियमों एवं प्रयोज्य सांविधिक प्रावधानों के अननुपालन के विरुद्ध रा.आ.बैंक के हित की रक्षा के लिए पीबीजी की आवश्यकता है। संविदा की शर्तों के सफल कार्यान्वयन में चूक पीबीजी के वारंट के आह्वान को वारंट कर सकता है, तथा यदि परामर्शदाता की किसी गतिविधि के कारण परिनिर्धारित हर्जाना/ अर्थदंड लगाया जाता है तो रा.आ.बैंक प्रस्तुत बैंक गारंटी आह्वान करने का अधिकार रखता है। लागू सांविधिक प्रावधानों के गैर-अनुपालन सहित गैर-निष्पादकता या आरएफपी शर्तों में त्रुटि पर रा.आ.बैंक का निर्णय अंतिम होगा एवं सफल बोलीदाता पर बाध्य होगा। **पीबीजी कार्य आदेश की स्वीकृति के 20 दिनों के भीतर सफल बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए।**

8.15 बोलियों की वैधता अवधि

- बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत कीमतें तथा अन्य शर्तें वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत करने की तारीख से छ माह की स्वीकृति अवधि के लिए वैध होनी चाहिए।
- असाधारण परिस्थितियों में बैंक बोलीदाताओं से वैधता की अवधि बढ़ाने के लिए सहमति की मांग कर सकता है। उसके लिए अनुरोध और प्रतिक्रिया लिखित में होगी। दी गई बोली प्रतिभूति घोषणा/ईएमडी को भी बढ़ाया जाएगा।

8.16 बोली का प्रारूप तथा हस्ताक्षर

प्रत्येक बोली दो भागों में होगी:

- **भाग I:** न्यूनतम पात्रता मानदंड, तकनीकी बोली तथा प्रच्छादित (मास्कड) वाणिज्यिक बोली (बिना किसी मूल्य के मूल्य बोली) शामिल हैं। उपरोक्त कंटेन्ट **''तकनीकी प्रस्ताव''** के रूप में उल्लिखित किए जाएंगे।
- **भाग II :''वाणिज्यिक प्रस्ताव''** के रूप में उल्लिखित होने के बाद केवल वाणिज्यिक बोली कवर करेंगे।
- वास्तविक बोली पक्की स्याही से टाइप की हुई या लिखित में होनी चाहिए तथा संविदा के बोली लगाने के लिए बाध्य के विधिवत प्राधिकृत बोलीदाता अथवा एक व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षित होनी चाहिए। व्यक्ति अथवा व्यक्ति जो बोली हस्ताक्षर कर रहे हैं, असंशोधित मुद्रित साहित्य के अलावा बोली के सभी पृष्ठों पर संक्षिप्त हस्ताक्षर करेंगे।

8.17 बोलियों की सीलिंग एवं चिन्हांकन

- 8.16 में यथा निर्दिष्ट भाग I एवं भाग II के साथ **‘’राष्ट्रीय आवास बैंक के समवर्ती लेखा परीक्षकों की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव’’** शीर्षक डालकर नॉन-विंडो एवं सीलबंद लिफाफा नीचे दिए गए पते पर राष्ट्रीय आवास बैंक के नाम होगा:

  उप महाप्रबंधक
  लेखा परीक्षा विभाग
  मुख्यालय, राष्ट्रीय आवास बैंक
  कोर 5-ए, चतुर्थ तल, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड
  नई दिल्ली –110 003

- सभी लिफाफों पर संपर्क नंबर और ई-मेल पते के साथ बोलीदाता का नाम एवं पता लिखा होना चाहिए।
- बोलीदाता तकनीकी और वाणिज्यिक प्रस्तावों वाले लिफाफों को अलग-अलग मुहर बंद करेगा।
- यह लिफाफा नॉन-विंडो होना चाहिए और यथा लागू इसके ऊपर **'राष्ट्रीय आवास बैंक के समवर्ती लेखा परीक्षकों की नियुक्ति हेतु तकनीकी प्रस्ताव**'' और **'राष्ट्रीय आवास बैंक के समवर्ती लेखा परीक्षकों की नियुक्ति हेतु वाणिज्यिक प्रस्ताव''** अलग से लिखा हो।
- **यदि लिफाफे मुहरबंद और चिन्हित नहीं किया गए हों तो बैंक बोली के गुम होने या समय पूर्व खुल जाने के लिये उत्तरदायी नहीं होगा।**
- **ऐसी बोली जो ठीक प्रकार से मुहरबंद नहीं हुई उन पर विचार नहीं किया जाएगा और सहारा के बिना अस्वीकृत कर दिया हो जाएगी।**

8.18 बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख

- बोलियां रा.आ.बैंक को निर्दिष्ट पते पर प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख से पहले, जिसे ऊपर दर्शाया गया है, प्राप्त हो जानी चाहिए।
- बोली प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट तिथि यदि रा.आ.बैंक के लिए अवकाश घोषित हो जाता है तो बोली अगले कार्य दिवस में निर्दिष्ट समय तक प्राप्त की जा सकती है।
- रा.आ.बैंक स्व निर्णयानुसार, रा.आ.बैंक की वेबसाइट पर सूचित करते हुए बोली दस्तावेजों को संशोधित करके बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख को आगे बढ़ा सकता है, उस स्थिति में, रा.आ.बैंक और बोलीदाता के सभी अधिकार और उत्तरदायित्व वृद्धित अंतिम तारीख तक पूर्ववत रहेंगे।

8.19 विलम्ब से प्राप्त बोलियां

रा.आ.बैंक द्वारा बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख के बाद बैंक को प्राप्त बोलियां रद्द कर दी जाएंगी और उन्हें बिना खोले बोली दाता को लौटा दिया जाएगा।

8.20 रा.आ.बैंक द्वारा बोलियां खोला जाना

- निर्धारित तारीख और समय पर, बोलियां रा.आ.बैंक समिति द्वारा बोलीदाता के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में, जो उस निर्धारित तारीख को उपस्थित होंगे, खोली जाएंगी।

- **तकनीकी बोलियां खोलने का स्थान:**

  राष्ट्रीय आवास बैंक
  कोर 5-ए, चतुर्थ तल, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड
  नई दिल्ली –110 003

- बोलीदाता के नाम और अपेक्षित ईएमडी, आरएफपी की कीमत के होने या नहीं होने तथा अन्य ब्योरे जिसे बैंक अपने निर्णयानुसार उचित समझता है, की घोषणा तकनीकी बोली खोलने के समय की जाएगी।

8.21 बोलियों का स्पष्टीकरण

बोलियों के मूल्यांकन के समय, रा.आ.बैंक स्व निर्णयानुसार, बोलीदाता से उसकी बोली का स्पष्टीकरण मांग सकता है। स्पष्टीकरण के लिये अनुरोध और उसका उत्तर लिखित (फैक्स /ईमेल) होगा और बोली की विषय वस्तु में किसी परिवर्तन की मांग नहीं की जाएगी या अनुमति नहीं दी जाएगी।

8.22 प्रारम्भिक जांच

- रा.आ. बैंक यह देखने के लिये बोलियों की जांच करेगा कि क्या वे पूरी हैं, दस्तावेजों पर सही प्रकार हस्ताक्षर किये गये हैं, सहायक कागजात /दस्तावेज संलग्न किये गये हैं और बोलियां हर प्रकार से ठीक हैं।

- रा.आ.बैंक स्व निर्णयानुसार, मामूली गलतियों, अननुपालन या अनियमितता को अनदेखा कर देगा जिनसे बिड की विषय वस्तु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किंतु इस प्रकार से अनदेखी करने का किसी बोलीदाता की रैकिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।

- बोली दस्तावेजों के मूल्यांकन के बारे में रा.आ.बैंक का निर्णय अंतिम होगा।

8.23 प्रस्ताव का स्वामित्व

बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव और संलग्न दस्तावेज तब तक रा.आ. बैंक की सम्पत्ति होंगे जब तक कि रा.आ. बैंक बोलीदाता का वह अनुरोध लिखित में स्वीकार नहीं कर लेता कि प्रस्ताव तथा दस्तावेज लौटा दिये जाएंगे या नष्ट कर दिये जाएंगे।

8.24 बोलीदाताओं को निर्देश

बोलीदाताओं को निर्देश हेतु कृपया अंग्रेजी आरएफपी का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें।

8.25 कीमत संघटन एवं व्युत्पन्न

- बोलीदाता को **अनुलग्नक IX** में उपलब्ध संरचना के अनुसार सख्ती से लागत मैट्रिक्स सष्ट तौर पर प्रस्तुत करना होगा। किसी प्रकार की अवहेलना होने पर बोली निरस्त कर दी जाएगी। वाणिज्यिक बोली के अलावा कोई अन्य विकल्प कोट नहीं किया जाना चाहिए। जहां कहीं भी विकल्प होंगे तो बोली निरस्त की जा सकती है।
- वाणिज्यिक प्रस्ताव स्थिर कीमत आधार पर होगा। संविदा अवधि के दौरान सौंपे गए किसी कार्य के लिए कर रहित (वर्तमान एवं भविष्य) परामर्श की लागत से संबंधित किसी मूल्य परिवर्तन को वहन नहीं किया जाएगा।
- सांविधिक संशोधन के अनुसार केवल जीएसटी का भुगतान किया जाएगा।
- परियोजना कार्यान्वयन तिथि आदेश पत्र की स्वीकृति तिथि (प्रारंभिक तिथि) या रा.आ.बैंक द्वारा निर्धारित ऐसी अन्य तिथि होगी। यदि लागू हो तो सहायता सेवाओं आदि के नवीकरण हेतु उक्त तिथि पर ही विचार किया जाएगा।

8.26 सहायक सेवाओं की समय पर उपलब्धता

लेखा परीक्षा फर्म के पास इस परियोजना के अंतर्गत सभी अपेक्षित सहायता प्रदान करने हेतु **नई दिल्ली और मुंबई** में उचित और पर्याप्त सहायक तंत्र उपलब्ध होना चाहिए।

8.27 मैनुअल/दस्तावेज

लेखा परीक्षा फर्म को संविदा की अवधि के दौरान आपूर्ति किए गए सेवाओं हेतु अपेक्षित दस्तावेज उपलब्ध करानी होगी। इसके अतिरिक्त, लेखा परीक्षा फर्म रिपोर्ट के साथ बैंक के लिए किए जाने वाले लेखा परीक्षा पर आधारित बैंक द्वारा अपेक्षित प्रारूप में नमूना/दस्तावेज प्रस्तुत करेगा।

8.28 संशोधन एवं आहरण

- प्रत्येक बोलीदाता केवल एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। यदि बोलीदाता एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत करता है तो, ऐसे सभी प्रस्तावों को अयोग्य माना जाएगा।
- बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे पूर्व-बोली बैठक के बाद ही बोलियां जमा करें क्योंकि एक बार जमा की गई बोली को अंतिम माना जाएगा और इस पर कोई और पत्राचार नहीं किया जाएगा। बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के बाद कोई बोली संशोधित नहीं की जाएगी। यदि बोलीदाता सफल बोलीदाता बन जाता है तो बोलीदाता को बोली वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- रा.आ. बैंक बिना कोई कारण बताए किसी भी या प्राप्त सभी निविदाओं को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। रा.आ. बैंक किसी भी कारण से बोली दस्तावेजों की गैर-रसीद/कोई भी वितरण न होने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

8.29 कीमतों को प्रकटीकरण

वाणिज्यिक बोली के अलावा तकनीकी या बोली के अन्य भाग में किसी भी रूप में या कारण से कीमतों का उद्घाटन नहीं किया जाएगा। ऐसा करने में विफल रहने पर बोली निरस्त होने के लिए पात्र होगा।

8.30 बोली लगाने वाली कंपनियों की निबंधन व शर्तें

बोली लगाने वाली कंपनियों को बोली के लिए अपनी स्वयं के निबंधन व शर्तें लगाना आवश्यक नहीं है यदि ऐसी निबंधन व शर्तें प्रस्तुत की जाती है तो उसे उनकी बोलियों के हिस्से के तौर पर नहीं माना जाएगा। बोलीदाताओं को सूचित किया जाता है कि यदि उन्हें निविदा के इस आमंत्रण पर लागू अनुबंध की निबंधन व शर्तें स्वीकार नहीं है तो वे खंड **अनुलग्नक-IV** के अनुसार व्यतिक्रमों को स्पष्ट तौर पर विनिर्दिष्ट करें। बोलीदाता स्पष्ट तौर पर दर्शायें कि वे प्रस्तुत किये जाने वाले उपकरण एवं सेवाओं में इन विनिर्देशों एवं अपेक्षाओं में निर्धारित विनिर्देशों से किस संबंध में एवं किस सीमा तक की भिन्नता/व्यतिक्रम होगा।

8.31 स्थानीय परिस्थितियां

बोलीदाता ऐसी स्थानीय परिस्थितियों एवं कारकों से भलीभांति परिचित हो जो अनुबंध के कार्य निष्पादन एवं/अथवा लागत पर कोई प्रभाव डालते हों।

8.32 राष्ट्रीय आवास बैंक से संपर्क करना अथवा बाहरी प्रभाव डालना

बोलीदाताओं को वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत करने के समय से लेकर अनुबंध प्रदान किये जाने के समय तक इस बोली से संबंधित किसी मामले पर राष्ट्रीय आवास बैंक अथवा इसके सलाहकारों से संपर्क करना निषिद्ध है। बोलीदाताओं द्वारा बोली मूल्यांकन प्रक्रिया अथवा अनुबंध प्रदान करने के निर्णय को प्रभावित करने वाले कोई प्रयास करने पर बोली अस्वीकार कर दी जाएगी।

8.33 प्रस्ताव की सामग्री

बोलीदाता के प्रस्ताव मूल्यांकन एवं चयन प्रकिया का मुख्य विषय है इसलिए अत्यंत आवश्यक है कि वेंडर ध्यानपूर्वक अपना प्रस्ताव तैयार करें। वेंडर के प्रस्ताव की गुणवत्ता साधन उपलब्ध कराने में वेंडर की क्षमता एवं इस परियेाजना/ में वेंडर की रूचि के सूचक के तौर पर देखी जाएगी।

8.34 प्रतिबंधित अथवा सूची से बाहर किये गये बोलीदाता

बोलीदाता को यह घोषणा पत्र देना होगा कि वे किसी सरकार, अर्ध सरकारी एजेंसियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं इसकी सहायक कंपनियों द्वारा प्रतिबंधित अथवा सूची से बाहर नहीं किया गया है। यदि बोलीदाता किसी सरकार, अर्ध सरकारी एजेंसियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं इसकी सहायक कंपनियों द्वारा प्रतिबंधित किया गया है तो यह तथ्य स्पष्ट तौर पर दर्शाया जाय। यदि यह घोषणापत्र नहीं दिया जाता है तो बोली गैर जिम्मेदारी के तौर पर अस्वीकृत कर दी जाएगी। यह घोषणापत्र तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत की जाये।

8.35 कानूनों का अनुपालन

क. लेखा परीक्षा फर्म/बोलीदाता को इस निविदा में उन्हें एवं सभी प्रयोजनों में उनको, उनके बारोबार, उनके कर्मचारियों अथवा उनके दायित्वों से संबंधित अथवा लागू प्रवृत्त सभी कानूनों अथवा जो भविष्य में लागू किये जाएंके बारे में पर्यवेक्षण करने, पालन करने, मानने एवं अनुपालन करने एवं राष्ट्रीय आवास बैंक को सूचित करने तथा अपनी ओर से असफल रहने अथवा चूक होने पर व इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले उपरोक्त एवं सभी अन्य सांविधिक दायित्वों की अनुरूपता अथवा अनुपालन पर अपनी ओर से घटित होने वाली अथवा उत्पन्न होने वाली किसी प्रकार की चूक पर अथवा असफल रहने पर देयता के दावों अथवा मांगों के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक एवं इसके कर्मचारियों/अधिकारीगणों/कर्मचारीवर्ग/कार्मिकों/प्रतिनिधियों/एजेंटो की क्षतिपूर्ति,हानिरहित पकड, बचाव एवं रक्षा करने का वचन देना होगा।

ख. लेखा फरीक्षा फर्म ऐसी सभी सहमतियां, अनुमतियां, अनुमोदन, लाइसेंस इत्यादि प्राप्त तुरंत एवं समय पर प्राप्त करेगा जो लागू कानून, सरकारी विनियमनों/दिशा निर्देशों के तहत इस परियोजना के किसी भी प्रयोजन एवं अपने स्वयं के कारोबार संचालित करने के लिए अनिवार्य अथवा आवश्यक हो एवं परियोजना की अवधि के दौरान उसे बैध अथवा प्रवृत्त रखेगा एवं इसमें किसी प्रकार से असफल रहने अथवा चूक होने की स्थिति में अपनी ओर से असफल रहने अथवा चूक होने पर व इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले उपरोक्त एवं सभी अन्य सांविधिक दायित्वों की अनुरूपता अथवा अनुपालन पर अपनी ओर से घटित होने वाली अथवा उत्पन्न होने वाली किसी प्रकार की चूक पर अथवा असफल रहने पर देयता के दावों अथवा मांगों के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक एवं इसके कर्मचारियों/अधिकारीगणों/कर्मचारीवर्ग/कार्मिकों/प्रतिनिधियों/एजेंटो की क्षतिपूर्ति, हानिरहित पकड, बचाव, रक्षा करने एवं पूरी तरह क्षतिपूर्ति करने का वचन देना होगा।राष्ट्रीय आवास बैंक लेखा परीक्षा फर्म को यथोचित समय सीमा के भीतर देयता के ऐसे दावे अथवा मांग का नोटिस देगा।

ग. यदि राष्ट्रीय आवास बैंक विलय, समामेलन, अधिग्रहण, समेकन, पुनर्निर्माण, स्वामित्व में परिवर्तन इत्यादि की प्रक्रिया से गुजरता है तो यह अनुबंध नई संस्था को सौंपे जाने वाला माना जाएगा एवं इस तरह के कार्य से इस अनुबंध के तहत लेखा परीक्षा फर्म के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

8.36 बौद्धिक संपदा अधिकार

बोलीदाता वारंट देता है कि समवर्ती परीक्षा फर्म के रूप में इसके चयन की स्थिति निम्नलिखित हैं:

(क) इसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले इनपुट, किसी भी प्रकृति के कॉपीराइट, पेटेंट और अन्य बौद्धिक संपदा अधिकारों सहित किसी भी तृतीय पक्ष के बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन नहीं करेगा।

(ख) यह आगे की गारंटी देता है कि वितरित किसी भी तीसरे पक्ष के बौद्धिक संपदा अधिकारों, कॉपीराइट, पेटेंट और किसी भी प्रकृति के अन्य बौद्धिक संपदा अधिकारों सहित, का उल्लंघन नहीं करेगा।

(ग) ऐसी स्थिति में जब प्रदेय तृतीय पक्ष के बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन या उल्लंघन के दावे का विषय बनते हैं, बोलीदाता अपनी इच्छा और व्यय पर: (क) ऐसे प्रदेय का उपयोग जारी रखने हेतु रा.आ.बैंक के लिए खरीद का अधिकार; (ख) ऐसे प्रदेय को बदलने या संशोधित करने के लिए उन्हें गैर- उल्लंघनकारी बनाकर प्रदान किया जाता है, बशर्ते कि समान कार्य प्रतिस्थापन या संशोधित प्रदेय द्वारा उल्लंघनकारी प्रदेय के रूप में किया जाता है; अथवा (ग) यदि उपयोग करने का अधिकार खरीद नहीं हो सकता या प्रदेय को प्रतिस्थापित या संशोधित नहीं किया जा सकता तो प्रदेय की विवरणी को स्वीकार कर सकते हैं और ऐसे प्रदेय के लिए बोलीदाता को दी गई किसी भी राशि के लिए साथ ही रा.आ. बैंक द्वारा लगाए गए दंड के अतिरिक्त समान उपकरणों की खरीद के लिए रा.आ. बैंक द्वारा किए गए प्रतिस्थापन लागत रा.आ. बैंक को प्रतिपूर्ति कर सकते हैं। तथापि, इस संबंध में रा.आ. बैंक किसी भी तरह के व्यय,

प्रभार, शुल्क या किसी प्रकार की लागतों को नहीं उठाएगा। मौजूदा उपायों के बावजूद, बोलीदाता प्रस्तावित समाधान का उपयोग करने के लिए रा.आ. बैंक की असमर्थता के कारण यदि सेवा स्तर की पूर्ति नहीं होती है तो दंड के भुगतान के लिए जिम्मेदार होगा।

(घ) बोलीदाता स्वीकार करता हैं कि व्यापार तर्क, कार्य प्रवाह, प्रतिनिधिमंडल और रा.आ. बैंक के निर्णय लेने की प्रक्रिया और समर्पण संवेदनशील व्यापार प्रकृति के हैं और इसलिए इसे अन्य ग्राहकों, एजेंट या सॉफ़्टवेयर के वितरकों को नहीं भेजा जाएगा। यदि परियोजना के क्षेत्र में वर्णित परियोजना के वांछित उद्देश्यों को पूरा नहीं किया जाता है और यदि आरएफपी में उल्लिखित की गई विभिन्न आवश्यकताओं के आधार पर प्रणाली प्रक्रियाओं को सुधारनें में असमर्थ है, तो इस परियोजना को अपूर्ण माना जाएगा।

8.37 झूठा/अधूरा विवरण

बोलीदाता द्वारा प्रदान किया गया कोई विवरण/घोषणापत्र यदिनिविदा के किसी भी चरण में अथवा अनुबंध के किसी भी चरण में स्वीकारी गर्यी उसकी निविदा की स्थिति में गलत अथवा झूठी साबित होती है अथवा अधूरी पाई जाती है अथवा जैसे निविदा प्रदान करने में किसी प्रकार की प्रासंगिक जानकारी रोकती हैतो उसका/उनकी निविदा(यें)/अनुबंध (धों) को निम्नलिखित के अतिरिक्त निरस्त/रद्द कर दिये जाएंगे:

क यदि ऐसा विवरण निविदा के चरण में पाया जाता है तो निविदा/बोली को सरसरी तौर पर ही अस्वीकार कर दिया जाएगा।

ख यदि ऐसा विवरण अनुबंध के चरण में पाया जाता है तो रा.आ.बैंक अपने विवेक पर पीबीजी के आह्वान सहित संविदा को समाप्त करने हेतु आरएफपी में प्रदान की गई यथोचित कार्रवाई कर सकता है।

8.38 भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के बोलीदाता से खरीद पर प्रतिबंध:

- भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से कोई भी बोलीदाता इस निविदा में बोली लगाने हेतु तभी पात्र होगा, जब बोलीदाता सक्षम प्राधिकारी यानी उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ((डीपीआईआईटी) द्वारा गठित पंजीकरण समिति के साथ पंजीकृत हो।

  यद्यपि, यदि बोलीदाता उसी देश से हैं (यदि भारत के साथ भूमि सीमा साझा कर रहे हों) जिस देश में भारत सरकार ने ऋण व्यवस्था लागू की हैं या जिसमें भारत सरकार विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर दिए गए ऐसे देशों की अद्यतन सूची के अनुसार परियोजनाओं के विकास में कार्य कर रही है, तो इस प्रकार का पंजीकरण इस आरएफपी के अंतर्गत पात्र होने हेतु अपेक्षित नहीं है।

- बोलीदाता को **अनुलग्नक XVIII** में संलग्न प्रारूप के अनुसार प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। यदि सफल बोलीदाता द्वारा प्रदान किया गया प्रमाण पत्र नकली पाया जाता है तो यह निविदा के निरस्तीकरण का आधार बनेगा तथा कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई सुनिश्चत की जाएगी।
- इस खंड के प्रयोजन हेतु:

क) बोलीदाता" (कुछ संदर्भों में 'निविदा', 'सलाहकार' अथवा 'सेवा प्रदाता' शब्द सहित) से तात्पर्य है, कोई भी व्यक्ति या फर्म या कंपनी, जिसमें सहायता संघ या संयुक्त उद्यम (जो कई व्यक्तियों या फर्मों या कंपनियों का संघ है), प्रत्येक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति जो एतदपूर्व उल्लिखित बोलीदाताओं के किसी भी विवरण में नहीं आता, जिसमें किसी भी एजेंसी शाखा या कार्यालय को ऐसे व्यक्ति द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो खरीद प्रक्रिया में भाग लेता है, शामिल है।

ख) इस आदेश के उद्देश्य हेतु ''भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से बोलीदाता" का अर्थ- :

(i) देश में शामिल, स्थापित या पंजीकृत संस्था; या

(ii) देश में शामिल, स्थापित या पंजीकृत सहायक कंपनी या संस्था; या

(iii) देश में शामिल, स्थापित या पंजीकृत संस्थाओं के माध्यम से वास्तव में नियंत्रित की गयी संस्था; या

(iv) संस्था जिसका लाभकारी मालिक देश में स्थित है; या

(v) संस्था का भारतीय एजेंट (या अन्य); या

(vi) साधारण व्यक्ति जो देश का नागरिक है; या

(vii) सहायता संघ या संयुक्त उद्यम जहां सहायता संघ या संयुक्त उद्यम का कोई भी सदस्य उपरोक्त में से किसी के अंतर्गत आता है।

ग) उपर्युक्त (ii) के प्रयोजन हेतु लाभकारी मालिक निम्नानुसार होगा।

i. कंपनी या सीमित देयता भागीदारी के मामले में, लाभकारी मालिक साधारण व्यक्ति है, जो अकेले या किसी के साथ या एक या एक से अधिक न्यायिक व्यक्ति के माध्यम से कार्य करता है, स्वामित्व हित को नियंत्रित रखता है या जो अन्य माध्यमों से नियंत्रण रखता है।

"स्वामित्व हित को नियंत्रित करना" का अर्थ है, कंपनी के शेयरों या पूंजी या लाभ के पच्चीस प्रतिशत से अधिक का स्वामित्व या हकदारी;

"नियंत्रण" में निदेशकों के बहुमत को नियुक्त करने या उनके शेयरहोल्डिंग या प्रबंधन अधिकारों या शेयरधारकों के करार या वोटिंग करार सहित के आधार पर प्रबंधन या नीतिगत निर्णय को नियंत्रित करने का अधिकार शामिल होगा;

ii. साझेदारी फर्म के मामले में, लाभकारी मालिक साधारण व्यक्ति है, जो अकेले या किसी के साथ या एक या एक से अधिक न्यायिक व्यक्ति के माध्यम से कार्य करता है, उसके पास साझेदारी का पंद्रह प्रतिशत से अधिक पूंजी या लाभ की हकदारी का स्वामित्व है;

iii. अनिगमित संघ या वैयक्तिकों के निकाय के मामले में, लाभकारी मालिक साधारण व्यक्ति है, जो अकेले या किसी के साथ या एक या एक से अधिक न्यायिक व्यक्ति के माध्यम से कार्य करता है, जिसके पास संघ या वैयक्तिकों के निकाय की संपत्ति या पूंजी का पंद्रह प्रतिशत से अधिक का स्वामित्व या हकदारी;

iv. जहां किसी भी साधारण व्यक्ति की पहचान उपर्युक्त (i) या (ii) या (iii) में नहीं की गयी है, लाभकारी मालिक प्रासंगिक साधारण व्यक्ति है जो वरिष्ठ प्रबंध अधिकारी का पद ग्रहण करता है;

v. न्यास के मामले में, लाभकारी मालिक की पहचान में न्यास के प्रणेता, न्यासी, न्यास में पंद्रह प्रतिशत या इससे अधिक ब्याज के साथ लाभार्थी और कोई भी अन्य साधारण व्यक्ति जो नियंत्रण स्वामित्व की श्रृंखला के माध्यम से न्यास पर अंतिम प्रभावी नियंत्रण का उपयोग करता है, शामिल होगी।

घ. एजेंट एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी दूसरे के लिए कोई भी कार्य करने या तीसरे व्यक्ति के साथ डील करने में दूसरे व्यक्ति की जगह नियोजित होता है।

8.39 बैंक विवरण

आरएफपी लागत प्रस्तुत करने के लिए बैंक खाते का विवरण इस प्रकार है: -

क्र. सं.	**प्रकार**	**विवरण**
1	लाभार्थी का नाम	राष्ट्रीय आवास बैंक
2	लाभार्थी का पता	कोर ए 5, चतुर्थ तल, भारत पर्यावास केंद्र , लोधी रोड, नई दिल्ली- 110003
3	लाभार्थी के बैंक का नाम	भारतीय स्टेट बैंक
4	लाभार्थी के बैंक की शाखा	प्रगति विहार दिल्ली शाखा, भूतल, कोर-6, स्कोप कॉम्पलेक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली- 110003
5	बैंक खाते का प्रकार	चालू खाता
6	लाभार्थी बैंक खाता सं.	52142903844
7	बैंक की शाखा का आईएफसी कोड	**SBIN0020511**
8	एमआईसीआर सं.	110004005

9. बोलियां (तकनीकी एवं वाणिज्यिक) एवं बोली के मूल्यांकन की कार्यप्रणाली

i. बोली के मूल्यांकन की कार्यप्रणाली

भूमिका

क. आरएफपी में वर्णित राष्ट्रीय आवास बैंक की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए चयनित बोलीदाता के पास समवर्ती लेखा परीक्षा के क्षेत्र में जो आवश्यक अवसंरचना को सफलतापूर्वक स्थापित करने एवं अनुबंध की संपूर्ण अवधि के लिए बैंक द्वारा मांगी गयी सेवाओं के लिए आवश्यक होगी, के क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करने में अपेक्षित अनुभव होना आवश्यक है। राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा अपनाये जाने वाली प्रस्तावित बोलियों की मूल्यांकन प्रक्रिया को नीचे स्पष्ट किया गया है। इसका उद्देश्य केवल बोलीदाता को मूल्यांकन प्रक्रिया का एक विचार प्रदान कराना है जिसे राष्ट्रीय आवास बैंक अपना सकता है। राष्ट्रीय आवास बैंक के पास बिना कोई कारण बताये जो भी हो निविदा प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय पर (संभावित बोलीदाताओं द्वारा तकनीकी एवं वाणिज्यिक प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने से पूर्व) मूल्यांकन प्रकिया का संशोधन करने एवं ऐसे किसी भी बदलाव पर बोलीदाताओं को अवगत कराने की किसी आवश्यकता के बिना संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित है। मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय पर राष्ट्रीय आवास बैंक किसी अथवा सभी बोलीदाताओं से विशिष्ट स्पष्टीकरण की मांग कर सकता है।

ख. कृपया यह भी ध्यान दें कि बैंक के पास ऐसे किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है यदि उक्त अपूर्ण पाया जाता है अथवा इस आरएफपी दस्तावेज में दिये गये विनिर्दिष्ट प्रारूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग. सबसे पहले वेंडर द्वारा इस आरएफपी के प्रत्युत्तर में प्रदान किये गये '**न्यूनम पात्रता मानदंड**'का विवरण का खंड में वर्णित मानदंड के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। इस आरएफपी के तकनीकी एवं वाणिज्यिक प्रत्युत्तर पर केवल उन वेंडरों पर विचार किया जाएगा जो **न्यूनतम पात्रता मानदंड** पूरा करते हों।

ii. तकनीकी एवं वाणिज्यिक प्रत्युत्तरों का मूल्यांकन निम्नलिखित खंडों में उल्लिखित मानदंड के आधार पर किया जाएगा।

क. न्यूनतम पात्रता मानदंड

न्यूनतम पात्रता मानदंड हेतु कृपया अंग्रेजी आरएफपी का संदर्भ लेने का कष्ट करें।

10. वाणिज्यिक निबंधन व शर्तें

बोलदाताओं से अनुरोध है कि वे इस परियोजना/समनुदेशन की निम्नलिखित वाणिज्यिक निबंधन व शर्तों पर ध्यान दें।

10.1 मुद्रा

बोलदाता से अनुरोध है रूपये में अपनी कोटेशन दें। रूपये से अलग मुद्रा में प्राप्त बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

10.2 कीमत

क बोलीदाता द्वारा उद्धृत कीमत में सभी प्रकार की लागतें शामिल होनी चाहिए।

ख कीमत तीन वर्षों की पूरी अनुबंध की अवधि के लिए वैध एवं दृढ़ होनी चाहिए।

ग कीमत में वाणिज्यिक बोली के अनुसार सभी कर (जीएससी के अतिरिक्त) शुल्क, उदग्रहण प्रभार, ढुलाई, बीमा इत्यादि शामिल होने चाहिए।

घ बोलीदाता द्वारा उद्धृत कीमत बोलीदाता के अनुबंध के कार्य निष्पादन यानि तीन वर्षों की अवधि एवं उससे अधिक बढाई गयी अवधि यदि राष्ट्रीय बैंक को आवश्यक हो, के दौरान स्थिर रहेगी।

ङ समायोज्य कीमत युक्त कोटेशन के साथ प्रस्तुत बोली को अनुत्तरदायी समझा जाएगा एवं उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।

च यदि कोई बोलीदाता शून्य शुल्क उद्धृत करता है, तो बोली को अनुत्तरदायी माना जाएगा एवं उस पर विचार नहीं किया जाएगा।

छ अनुबंधित दरों के आधार पर राष्ट्रीय आवास बैंक पिछले वर्ष के कार्य निष्पादन की समीक्षा के बाद वार्षिक रूप से पुनः आदेश (आर्डर) देगा।

ज किसी प्रकार की भावी अपेक्षा (मांग) के लिए वाणिज्यिक प्रस्ताव में उल्लिखित दरों के अनुसार अनुबंधित कार्य दिवस एवं इस आरएफपी में लागू निबंधनों के अनुसार आदेश दिया जाएगा। आदेश स्वीकार करने पर बैंक के विवेक पर इस आरएफपी की दंड व निरस्त करने की शर्तें लगाई जाएगी।

i) आईसीएआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, बोलियां आमंत्रित करने हेतु न्यूनतम पारिश्रमिक/शुल्क का इंगित किया जाना है। आरएफपी में परिभाषित कार्य क्षेत्र के अनुसार बैंक की समवर्ती लेखा परीक्षा करने के लिए न्यूनतम मासिक शुल्क 90,000 / - रूपये (नब्बे हजार रुपये मात्र) ("न्यूनतम शुल्क") लागू करों को छोड़कर होगा। यदि उद्धृत मासिक शुल्क उपरोक्तानुसार न्यूनतम शुल्क से कम है तो बोलियां अस्वीकार कर दी जाएंगी।

10.3 भुगतान की शर्तें

कोई भी भुगतान निम्नलिखित भुगतान शर्तों के अनुसार पीबीजी प्रस्तुत करने एवं एसएलए एवं एनडीए पर हस्ताक्षर होने के पश्चात ही जारी किया जाएगा।

सेवा प्रदाता को लेखा परीक्षा पूरा करने के बाद और बैंक को अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने एवं आरएफपी में प्रदेय ब्यौरा को पूरा करने के बाद सेवा प्रदाता द्वारा तैयार चालान के आधार पर तिमाही आधार पर भुगतान किया जाएगा।

10.4 अनुबंध की समाप्ति के मामले में भुगतान

आरएफपी की शर्तों के अधीन, यदि अनुबंध समाप्त हो जाता है तो सेवाओं के लिए भुगतान लागू दंड एवं टीडीएस/अन्य कर काटने के पश्चात आपूर्तित सेवाओं की अवधि के लिए समानुपातिक आधार पर किया जाएगा।

अन्य निबंधन व शर्तों तथा प्रारूपों के लिए निम्नलिखित वेबसाइट पर जाएं:
www.nhb.org.in – **What's New**

***किसी भी विवाद की स्थिति में दस्तावेज का अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।**

XXXXXXXXXXX